

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 740] No. 740] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2018/आश्विन 23, 1940 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ASVINA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2018

सं. 52/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 1033(ब).—जहां कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/19/2017-डीजीएडी दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के तहत नामित प्राधिकारी ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 58/2012-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के तहत अधिरोपित कोरिया पीआर और इज़राइल,(एतिशमन पश्चात् विषयक देश के रूप में संदर्भित), में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने आने वाले "फ्थेलिक एनहाइड्राइड" (एतिशमन पश्चात् विषयक देश के रूप में संदर्भित) के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की निरन्तरता के मामले में सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उनपर कर निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुसरण में और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (एतिशमन पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार सनसैट समीक्षा की शुरुआत की थी।

और जहाँ कि, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1538(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 सिहत और इस तिथि तक विषयगत देशों में उद्भूत और वहां से निर्यातित इस विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की अविध को बढ़ाया था;

और जहाँ कि, विषयगत देश में उद्भूत और वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं. फा. सं. 7/19/2017-डीजीएडी दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में पदनामित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि:

'घरेलू उद्योग लगातार क्षति का सामना नहीं कर रहा था; वास्तव में, घरेलू उद्योग ने भी ऐसा करने का दावा नहीं किया था । मुद्दा -पीयूसी के पाटन की संभावना और प्रतिपाटन शुल्क की अवधि समाप्त होने पर परिणामी क्षति का

6093 GI/2018 (1)

था। इस संबंध में डीए ने नोट किया है कि भारत में पीयूसी के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक, जिसने इस जांच के साथ पूरी तरह से सहयोग किया था, प्रतिपाटन शुल्क का सामना किए बिना निर्यात कर रहा था और डीआई को कोई क्षिति पहुंचाता भी नहीं देखा गया था। इसके और अन्य निर्यातकों के पास पर्याप्त निर्यात अवसर थे; निर्यात की कीमत वैश्विक स्तर पर एक गतिशील बाजार इंगित करती है; मूल्य प्राप्ति के साथ भारत में प्राप्त होने के विपरीत नहीं है। कहीं और किसी भी महत्वपूर्ण क्षमता में वृद्धि का कोई सबूत नहीं था, जो साक्ष्य को भारत में आयात में आने वाले प्रवाह का सबूत दे सकता है ',

और तदनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर कर निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 14(ख) के अनुसरण में कोरिया पीआर, ताइवान और इज़राइल में उद्भूत और वहां से निर्यातित 'फ्थेलिक एनहाइड्राइड' के आयातों पर विद्यमान प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 58/2012, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 दिसम्बर, 2012, जिसे सा.का.नि. 924(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के तहत इस तरह के बचाव से पहले किए गए कार्यों को छोड़ दिया या छोड़ दिए गए सम्मान के अलावा, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित करती है।

[फा. सं. 354/206/2012-टीआरयू (पार्ट. III)] गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2018

No. 52/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 1033(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.7/19/2017 DGAD, dated the 11th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th December 2017, had initiated the sunset review in term of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Phthalic Anhydride' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Korea PR, Taiwan and Israel (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 58/2012- Customs (ADD), dated the 24th December, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 24th December, 2012;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries up to and inclusive of the 23rd December, 2018 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 56/2017-Customs (ADD), dated the 21st December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1538(E), dated the 21st December, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No. 7/19/2017-DGAD, dated the 13th September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th September, 2018 has come to the conclusion that:

'the domestic industry (DI) was not suffering continued injury; indeed, DI had not claimed to do so, either. The issue was - likelihood of dumping of the PUC and consequent injury in case the anti-dumping duty expires. In this regard the DA has noted that one of the largest exporters of the PUC to India, which had fully cooperated with this investigation, was exporting without facing any anti-dumping duty and was also not seen to be causing any injury to the DI. This and the other exporters had sufficient export opportunities; the export prices indicate a dynamic market globally; with price realization not dissimilar to that obtained in India. There was no evidence of any significant capacity enhancement elsewhere which might evidence an impending influx of imports into India',

And accordingly, has not recommended continuation of existing Anti-Dumping Duty on imports of the 'Phthalic Anhydride' originating in or exported from Korea PR, Taiwan and Israel in accordance with clause (b) of rule 14 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 58/2012-Customs (ADD), dated the 24th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 24th December, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/206/2012 -TRU (Pt. III)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.